राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या :– 22 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रामकिशन पुत्र जसवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी गडरा पटवार हल्का नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. भगवानाराम पुत्र सूरताराम 2. सुजानाराम पुत्र सूरताराम 3. गणपत पुत्र केसरीमल 4. भजनलाल पुत्र सुखराम 5. मोहनलाल पुत्र केसरीमल 6. राजूराम पुत्र सुखराम 7. पूनमाराम पुत्र दयाराम 8. किसनाराम पुत्र कानाराम 9. गोरखाराम पुत्र देवाराम 10. छगनलाल पुत्र जोधाराम 11. जगदीश पुत्र रामलाल 12. धोपी पत्नी देवाराम 13. पूनमचन्द पुत्र राजुराम 14. पेम्पों पत्नी जोधाराम 15. पुरखाराम पुत्र कानाराम 16. पांचाराम पुत्र गंगूराम 17. भूरीदेवी पत्नी सांवताराम 18. भारमलराम पुत्र खेराजराम 19. भींयाराम पुत्र गंगूराम 20. माडूदेवी पत्नी रामदयाल 21. राजूराम पुत्र कानाराम 22. रामजीवन पुत्र जोधाराम 23. सुखराम पुत्र देवाराम 24. सूजानाराम पुत्र सांवताराम 25. हरजीराम पुत्र रामुराम 26. हरीराम पुत्र कानाराम 27. हीराराम पुत्र सूरजनराम 28. करनाराम पुत्र हुकमाराम 29. किशनाराम पुत्र अणदाराम 30. झमकूदेवी पत्नी ठाकराराम 31. प्रभुराम पुत्र करनाराम 32. पालूदेवी पुत्री ठाकराराम 33. भभूताराम पुत्र ठाकराराम 34. मांगीलाल पुत्र हरीराम 35. मालाराम पुत्र हुकमाराम 36. रूकमण पत्नी अणदाराम 37. रूगनाथ पुत्र ठाकराराम 38. राजूराम पुत्र हुकमाराम 39. रामलाल पुत्र अणदाराम 40. [illegible] 41. कुनणी [illegible] 42. जगदीश [illegible] हरदाराम 43. जयकिशन पुत्र [illegible] 44. [illegible] पुत्र [illegible]राम 45. पाबूराम पुत्र हरजाराम 46. विरधाराम पुत्र [illegible]राम 47. सूजाणाराम पुत्र बन्शीराम जातियान विश्नोई निवासी गडरा पटवार हल्का नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना 48. तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:07 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 30/01/23

अधिवक्तागण :– 1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 27/10/23

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 71/1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा गडरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थी की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थी की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थी अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहा है, इसलिए प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.02.2021 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा गडरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 48 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए [illegible] रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे [illegible] से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 11.10.2023 [illegible] विप्रार्थीगण के [illegible] न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध [illegible]

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को [illegible] प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:07 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23

के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.02.2021 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 71/1 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 भली—भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गडरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे—खर्चे से उसके खसरा संख्या 71/1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा—विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:07 IST
Reason: SelfAttested